दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 16.02.2024

आप.वि.वा. 1283/2024, आप.वि.आ. 5059/2024, आप.वि.आ. 5058/2024

सचिन कुमार दक्ष ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री आरुषि देसाई, श्री शिवांश बी. पांडे और श्री अमान अहमद खान, अधिवक्तागण

बनाम

ममता गोला और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री चारु और श्री सत्यार्थ बालाजी सिन्हा, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के लिए अधिवक्तागण।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार मेंदिरत्ता

<u>आदेश</u>

<u>न्या., अनूप कुमार मेंदिरत्ता (मौखिक)</u>

<u>आप.वि.आ.5059/2024</u>

न्यायसंगत अपवादों के अधीन छूट प्रदानित।

तदनुसार आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>आप.वि.वा.1283/2024, आप.वि.आ.5058/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 482 सहपठित धारा 483 के तहत एक याचिका दायर की गई है, जिसमें विद्वान कुटुम्ब न्यायालय, दक्षिण पश्चिम, द्वारका, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांकित 16.01.2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 (पत्नी) को ***रजनीश बनाम नेहा और अन्य*** **(2021) 2 एससीसी 324** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नया आय शपथ-पत्र दायर करने की अनुमति दी गई है।

2. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हुए।

3. संक्षेप में, याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच विवाह दिनांक 11.12.2019 को संपन्न हुआ। याचिकाकर्ता ने अहमदाबाद की कुटुम्ब न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दायर की थी। दूसरी ओर, अलीगढ़ में कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी पत्नी की ओर से धारा दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत एक याचिका दायर की गई थी, जिसे दिल्ली अंतरित कर दिया गया। धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक आय आस्ति शपथ-पत्र दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा गलत जानकारी देने के संबंध में एक रुख अपनाया। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा परि प्रश्न का जवाब दायर नहीं किया जाना बताया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के

समक्ष धारा 340 दं.प्र.सं. के तहत एक आवेदन भी दायर किया जाना बताया गया है।

4. इस के अलावा याचिकाकर्ता का यह मामला है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने महसूस किया कि उसके झूठ और दमन का पता चल चुका है और उसने आय और व्यय शपथ-पत्र में संशोधन करने की मांग की है। ऐसा बताया गया है कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को 10.04.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से आय और व्यय शपथ-पत्र दाखिल करने की अनुमति दी है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा आप.वि.वा. 3572/2023 में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 23.05.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से 10.04.2023 दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को संशोधन आवेदन पर आपत्तियां दायर करने की अनुमति दी और आगे बढ़ने से पहले उसे निर्णीत करने का निर्देश दिया। विद्वत कुटुम्ब न्यायालय ने दिनांक 16.01.2024 के विवादित आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस आधार पर नया आय और व्यय शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति दी कि प्रस्तुत आय और व्यय शपथ-पत्र ***राजनेश बनाम नेहा और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले के प्रारूप के अनुसार नहीं है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा हिंदी में प्रस्तुत किया गया पिछला शपथ-पत्र भी ***रजनीश बनाम नेहा और एक अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले के प्रारूप के अनुसार है, और नए आय आस्ति

शपथ-पत्र दाखिल करने में संशोधित विवरण शामिल हैं जो याचिकाकर्ता की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत दायर किए गए लंबित आवेदन को विफल कर देगा।

6. दूसरी ओर, विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रत्यर्थियों की ओर से समर्थन किया जाता है।

7. विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन मात्र दर्शाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से यह अनुरोध किया गया था कि पिछले शपथ-पत्र में अनजाने में आवश्यक तथ्यों को नहीं जोड़ा जा सका और प्रस्तावित संशोधन मूल आवेदन के साथ असंगत नहीं है। प्रस्तावित संशोधन को आवश्यक भी बताया गया था क्योंकि यह मुद्दे की जड़ तक गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों/दलीलों को ध्यान में रखने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने कहा कि पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर दायर पिछले शपथ-पत्र को अभिलेख से हटाया नहीं जा सकता है और किसी भी तथ्य/आंकड़ों पर विवाद पर विचार करते हुए, न्यायालय अभिलेख पर रखे गए पिछले शपथ-पत्र पर विचार कर सकता है। आगे यह कहा गया कि प्रत्यर्थी को उचित आय शपथ-पत्र दाखिल करने से नहीं रोका जा सकता है जैसा कि ***राजनेश बनाम नेहा और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में कहा गया है और तदनुसार शपथ पत्र को नए सिरे से दाखिल करने की अनुमति दी गई है।

8. मैंने उठाए गए विवादों पर सुविवेचित रूप से विचार किया है।

पत्नी को दिया गया भरण-पोषण सामाजिक न्याय के एक पैमाने के रूप में है और दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत कार्यवाही महिलाओं और बच्चों को व्यभिचार और निर्धनता से बचाने के उद्देश्य से है। कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना सुलह प्रक्रिया को अपनाने और सुविधाजनक बनाने और कुटुम्ब विवादों से शीघ्र और त्वरित तरीके से निपटने के लिए की गई है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 10(3) में यह प्रावधान है कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 10 की उप-धारा 1 या उप-धारा 2 में निहित कुछ भी कुटुम्ब न्यायालय को मुकदमे या कार्यवाही की विषय-वस्तु के संबंध में या एक पक्ष द्वारा आरोपित और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार किए गए तथ्यों की सच्चाई पर एक समझौते पर पहुंचने की दृष्टि से अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने से नहीं रोकेगा। इस प्रकार, उद्देश्य तथ्यों की सच्चाई तक पहुंचना है, जो परिवार न्यायालय अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए एक मार्गदर्शक बिंदु है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में भी, कुटुम्ब न्यायालय किसी भी रिपोर्ट, बयान, जानकारी या मामले को साक्ष्य के रूप में प्राप्त कर सकता है जो उसकी राय में विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता कर सकता है, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत अन्यथा प्रासंगिक या स्वीकार्य हो या नहीं। उपरोक्त उद्देश्य और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी लाक्षणिकताओं के प्रचलन को अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने तथ्यों की विवेचना के बाद पिछले

शपथ-पत्र में संशोधन के बजाय नए शपथ-पत्र को दाखिल करने की उचित रूप से अनुमति दी ताकि पक्षकारगण को विचार करने हेतु किसी भी प्रकार की विसंगतियों या अंतर को सामने लाने में सक्षम बनाया जा सके। यह याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित नहीं करता है, जैसा कि तर्क दिया गया है।

9. इस न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि इसी तरह की आपत्ति आप.वि.वा.260/2024 में भी ली गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांकित 08.12.2023 और 10.04.2023 के आदेशों को चुनौती दी थी। दिनांक 11.01.2024 के आदेश के माध्यम से, संशोधित शपथ-पत्र दाखिल करने के खिलाफ की गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।

10. इसके अतिरिक्त यह टिप्पणी की जाती है कि विचारण न्यायालय द्वारा नया शपथ-पत्र दायर करने का कोई भी निर्देश प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अभिलेख पर दाखिल किए गए पिछले शपथ-पत्र को नहीं मिटाता है। न्यायालय द्वारा हमेशा कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है यदि न्यायालय की राय है कि किसी भी पक्ष द्वारा कार्यवाही में गलत शपथ-पत्र दायर किया गया था। यह किसी भी तरह से दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत

याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए आवेदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

11. इन तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा आवश्यक विवरण प्रस्तुत करते हुए एक नया/संशोधित शपथ-पत्र दायर करने की अनुमति देने वाले आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह न्यायालय को भरण-पोषण राशि निर्धारित करने पर उचित रूप से विचार करने में सक्षम बनाएगा।

पूर्वगामी कारणों से याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति जानकारी के लिए विद्वान कुटुम्ब न्यायालय को भेजी जाए।

(अनूप कुमार मेंदिरत्ता)
न्यायाधीश

16 फरवरी, 2024/*एसडी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*